पंचायत निगरानी संख्या : 40/2025
उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/68

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा 2. श्री भीखाराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी लाटाड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 क्षेत्रफल 1741.5 वर्गफीट को निरस्त करवाने बाबत्।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली) राजस्थान

–:निर्णय:–

दिनांक: 06.10.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 क्षेत्रफल 1741.5 वर्गफीट को निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत की गई:–

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 को सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 क्षेत्रफल 1741.5 वर्गफीट का जारी किया गया है जिसमें निम्न प्रकार की अनियमितताएं बरती गई:–

   (क.) अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम से पट्टा संख्या 29 दिनांक 20.05.2005 को जारी किया गया है तथा अप्रार्थी को पट्टा नम्बर 20 दिनांक 01.12.2021 को जारी किया गया है। मौके पर माप करने पर प्रार्थी के भूखण्ड में अप्रार्थी के पट्टे की 04 फीट भूमि आती है। अर्थात मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार भूमि कम उपलब्ध होने से यह प्रतीत हो रहा है कि पट्टा मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार माप करके जारी नहीं किया गया है। जिससे मौके पर पट्टे के अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं होने से दोनो पक्षों में विवाद उत्पन्न हो रहा है। पट्टे की मिशल की जांच करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) (क) के तहत जारी किया गया है, जिसमें इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के पट्टे जारी किये जाते है, परन्तु

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2025
उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

मौके पर मकान सनिर्मित नहीं है। मिशल पत्रावली अपूर्ण है। मिशल में नक्शा प्रपत्र पर नक्शानवीन के हस्ताक्षर नहीं है, वार्डपंचों की मौका रिपोर्ट पर कमेटी के हस्ताक्षर नहीं है, केवल एक वार्ड पंच के ही हस्ताक्षर है। अतः अप्रार्थी को पट्टा संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 को जारी किया गया है जोनियम विरुद्ध है इसलिए पट्टा निरस्त करावे।

निगरानी याचिका दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या दो जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि प्रार्थी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश की जिसमें प्रार्थी ने कन्या पत्नी सोनाराम के परिवाद के आधार पर नाप चोक कर अप्रार्थी के पट्टे में परिवादिया की 4 फीट भूमि आने की जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट में लिखा। यह जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जबकि मौके पर प्रार्थी और अप्रार्थी 2 के बीच कॉटो की बाड़ है, उसके आधार पर भूमि की पैमाईश नाप के अनुसार हुई हो इस पर संशय पैदा होता है इस कारण 4 फीट भूमि जो वाद का कारण बना।
2. यह है कि प्रार्थी का पट्टा जो की भूखण्ड है पट्टा संख्या 29 दिनांक 20.05.2005 को राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत 200/– रुपये शुल्क पर जारी किया गया जबकि उक्त नियम के तहत किसी भी भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं नियम 157(ख) के तहत 50 वर्षों की पूर्व सनिर्मित पुराने घरो के पट्टे जारी किये जाते हैं।
3. यह है कि कार्यवाही रजिस्टर में 05.12.2004 को प्रार्थी के आवेदन पत्र में भूखण्ड का पट्टा दिये जाने का निवेदन किया गया था और उस दिनांक को कार्यवाही रजिस्टर में सरपंच श्री ओटाराम के हस्ताक्षर है जबकि उस दिनांक सरपंच श्री ओटाराम ने सरपंच पद चार्ज ही नहीं लिया था। अतः कार्यवाही नियमितता व नियमानुसार नहीं हुई।
4. यह है कि प्रार्थी के आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के पट्टे सम्बन्ध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटीस में कोई क्रम संख्या और दिनांक अंकित नहीं है।
5. यह है कि पट्टा संख्या 29 मिसल संख्या 322/2004–05 कन्या के नाम पर पट्टा जारी हुआ जबकि क्रेता के हस्ताक्षर के स्थान पर सोनाराम के हस्ताक्षर है।
6. यह है कि 100/– रुपये से अधिक मालियत के विक्रय विलेख पंजीबद्ध नहीं है तो प्रार्थी के स्वत्व, हक व अधिकार नहीं माने जायेगें जिससे प्रार्थी का पट्टा ही null and void है जिससे प्रार्थी को पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 के तहत अधिकार नहीं बचा रहता हैं।
7. यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच काटो की बाड़ होने से भूमि की पैमाईश सही तरीके नहीं होने पर यह 4 फीट का वाद उत्पन्न हुआ है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 के पट्टे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2025
उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

की मिसल में नक्शा प्रपत्र में नक्शा नवीस के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि नक्शा नवीस प्रपत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर

8. यह है कि वार्डपंचो द्वारा आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र पर एक वार्डपंच के हस्ताक्षर है और उस प्रपत्र की तस्दीक सरपंच लाटाडा के द्वारा की गई है।
9. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 का पुश्तैनी मकान है और उस पर कच्चा मकान था और बारिश के कारण उक्त मकान ढह गया इसलिए मौके पर मकान स्वनिर्मित नहीं है।
10. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 का पट्टा दिनांक 07.04.2022 को उप पंजीयक अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध किया हुआ है जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इस प्रकार कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज एक लीगल दस्तावेज माने जाते है और उसको कैन्सल करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है न कि प्रशासनिक न्यायालय को हैं।

अतः प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का पट्टा null and void घोषित किया जाकर पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 के तहत प्रस्तुत निगरानी को सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी विकास अधिकारी वक्त बहस उपस्थित नहीं। काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

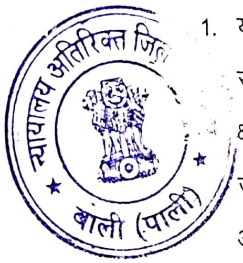

1. यह है कि उक्त अनवान प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को रा.प. रा. नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 व क्षेत्रफल 1741.5 वर्गफीट का मिशल संख्या 110/2021–22 की पालना में जारी हुआ है। उक्त पट्टे के खिलाफ कन्या पत्नी सोनाराम के परिवाद पर उक्त निगरानी विकास अधिकारी बाली के द्वारा प्रार्थी (परिवादियाँ) के भूखण्ड में अप्रार्थी संख्या 2 की पट्टे की 4 फीट भूमि आयी हुई है। इस पर यह निगरानी पेश की गई है।
2. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 को नियमानुसार मौके पर अप्रार्थी 02 के 50 वर्षों से कब्जे के आधार पर जहा पर पुराना मकान जो कि पुश्तैनी है उस आधार पर अप्रार्थी 02 को पट्टा जारी किया है, मौके पर वर्तमान में प्रार्थी (परिवादी) व अप्रार्थी संख्या 02 के बीच कॉटों की बाड़ स्थित है। जिसकी चौडाई ही 5 से 10 फीट के बीच है। जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट में कॉटों की बाड को बिना हटाये अनुमानित नाप लेकर प्रार्थी के भूखण्ड में अप्रार्थी 02 के पट्टे में प्रार्थी की 4 फीट भूमि आना बताया गया। पंचायत समिति बाली के द्वारा जांच प्रतिवेदन की कार्यवाही एकपक्षीय है।
3. यह है कि उक्त माप प्रार्थी व अप्रार्थी 02 के बीच की कांटो की बाड को हटाने के बाद किया गया होता तो प्रार्थी व अप्रार्थी 2 के बीच के पट्टे की सही माप का आकलन होता। जिस 4 फीट भूमि जो की विवाद का विषय है। उसका निस्तारण कांटो की बाड को हटाकर सही पैमाईश करने पर ही जायेगा। यदि कॉटो की बाड़ को हटाया जाये तो सही पैमाईश होने पर उक्त 4 फीट के विवाद का निस्तारण हो जायेगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2025
उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 का उक्त कच्चे मकान पर 50 वर्षो से ज्यादा पुश्तैनी कब्जे के साथ ही कच्चा मकान निर्मित था। परन्तु सार-संभाल नहीं होने के कारण कच्चा मकान बारिश इत्यादि के कारण ढह गया है। मौके पर उक्त मकान की पुरानी सामग्री ईट-पत्थर व मिट्टी के ढेर मौके पर मौजुद है।
5. यह है कि पंचायत नक्शा फॉर्म पर मौके के नाप तौल को ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा उक्त प्रपत्र को प्रमाणित किया हुआ है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 02 के पट्टे पुश्तैनी मकान के निरीक्षण हेतु प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 11.01.2021 को तीन वार्ड पंचो की कमेटी गठित की गई थी। और इन 03 वार्ड पंचो की कमेटी ने आबादी भूमि निरीक्षण प्रपत्र को ग्राम पंचायत की कोरम की बैठक मे प्रस्तुत किया और कोरम बैठक में उक्त कमेटी के वार्डपंच के साथ कोरम के अन्य वार्डपंचों के साथ सरपंच ने उक्त निरीक्षण प्रपत्र की तस्दीक करके प्रमाणित किया। अतःप्रार्थी के द्वारा इस निगरानी याचिका की वैधता, शुद्धता, मौलिकता में सन्देह होने के कारण निगरानी को सव्यय निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की बहस सुनी गई तथा आलोच्य भूमि विक्रय विलेख से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापुर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी विकास अधिकारी, प.स. बाली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में निष्पादित जैर निगरानी भूमि विक्रय विलेख संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 की वैधता को परिवादी श्रीमती कन्या पत्नी श्री सोहनलाल की शिकायत पर अतिरिक्त विकास अधिकारी प.स. बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार मुख्यतः निम्नलिखित आधारो पर चुनौति दी है:-

1. आलोच्य भूमि विलेख में विहित माप की तुलना में उक्त भूखण्ड की भूमि मौके पर चार फीट कम है अर्थात पट्टा एवं मौके अनुसार माप में अन्तर है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादग्रस्त भूखण्ड में कांटो की बाड होने से सही माप का आकलन सम्भव नहीं है तथा अतिरिक्त विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट भी एकपक्षीय रुप से तैयार की गई। इस सम्बन्ध में निगरानी याचिका के प्रस्तुतकर्ता याची विकास अधिकारी प.स. बाली ऐसा कोई ठोस दस्तावेज यथा मौका रिपोर्ट, सीमांकन फर्द इत्यादि प्रस्तुत करने में असफल रहे है जो उनके इस कथन की पुष्टि कर सके कि पट्टाधारी अप्रार्थी संख्या दो के भूमि विक्रय विलेख में विहित माप की भूमि मौके पर चार फीट कम है। प्रार्थी द्वारा याचिका के साथ अतिरिक्त विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 18.02.2025 अवश्य प्रस्तुत की है, किन्तु उक्त जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी को पूर्व में सूचित करने अथवा उसकी उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट तैयार करने का कोई प्रमाण नहीं है अर्थात उक्त जांच रिपोर्ट एकपक्षीय रुप से तैयार की गई है और इस कारण प्रार्थी का माप में अन्तर सम्बन्धि आक्षेप उत्तरोतरएवं ठोस जॉच के अभाव में प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
2. प्रार्थी ने जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख के विरुद्ध यह भी आक्षेप प्रस्तुत किया है कि आलोच्य विक्रय विलेख ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2025
उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

के नियम 157 के प्रावधान्तर्गत 'पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में निष्पादित किया है परन्तु आलोच्य भूखण्ड पर मकान संनिर्मित नहीं है। इसके प्रत्युतर में अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि मौके पर पूर्व में कच्चा मकान विद्यमान था किन्तु सार संभाल नहीं होने से बारिश इत्यादि के कारण ढह गया। किन्तु अप्रार्थी संख्या दो का उक्त कथन मिसल में उनके द्वारा दिनांक 10.09.2021 को प्रस्तुत पट्टा आवेदन में अंकित कथन से विरोधाभापी है। अप्रार्थी ने उक्त पट्टा आवेदन में प्रस्तावित भूमि पर पक्का मकान निर्मित होने का अंकन किया है, जबकि निगरानी के जवावपत्र के पद संख्या 9 में कच्चा मकान होने एवं बारिश में ढह जाने का कथन किया है, इसे अप्रार्थी द्वारा परस्पर विरोधाभापी कथन कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयत्न माना जा सकता है। वक्त सुनवाई अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आलोच्य भूखण्ड के फोटोग्राफ्स में भी संनिर्मित भूभाग के कोई प्रमाण दृष्टिगत नहीं होते है। यदि अप्रार्थी के कथनानुसार पूर्व में निर्मित मकान के बारिश में ढह जाने को स्वीकार कर भी लिया जाए, तो भी इस तथ्य की पुष्टि हेतु अप्रार्थी ऐसा कोई दस्तावेज यथा बिजली या पेयजल बिल, पुराने फोटोग्राफ्स इत्यादि प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त, मूल मिसल संख्या 110/2021–22 में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज यथा पड़ौसियों के बयान इत्यादि उपलब्ध नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि पूर्वोक्त नियम 157 के उपनियम (1) (क) एवं (ख) की पूर्वापेक्षा में 31 दिसम्बर, 2016 से सत्तर वर्ष पूर्व का निर्मित मकान आलोच्य भूखण्ड पर निर्मित था।

अतः हस्तगत निगरानी याचिका में अंकित यह आक्षेप प्रमाणित पाया जाता है कि मौके पर संनिर्मित नहीं होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में अप्रार्थी संख्या दो के हक़ में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया।

3. तृतीयतः, याची द्वारा निगरानी याचिका में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 को प्रक्रियात्मक आक्षेपों के आधार पर भी चुनौति दी है। इस सम्बन्ध में विचाराधीन निगरानी याचिका के सलंग्न मूल मिसल संख्या 110/2021–22 का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय हैः–

(i) राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 उपनियम (3) की पूर्वापेक्षा में हस्तगत प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी/सचिव द्वारा नक्शा तैयार नहीं किया गया है बल्कि सचिव के स्तर से ऐसा किया जाना उपनियम (3) में आज्ञापक है।

(ii) पूर्वोक्त नियम 1996 के नियम 146 में तीन पंचों की समिति द्वारा आवेदित स्थल का निरीक्षण कर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उपबन्ध है। किन्तु हस्तगत मिसल में संलग्न आलोच्य भूखण्ड की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर मात्र एक पंच श्री सुरेश कुमार के ही हस्ताक्षर अंकित है जबकि आदेशिका दिनांक 11.10.2021 में तीन पंचो को स्थल निरीक्षण हेतु नामवार मनोनित भी किया गया था। ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा ऐसी अधूरी व शून्यकरणीय स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित मानकर आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2025
उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

(iii) महत्वपूर्ण है कि मिसल संख्या 110 में प्रदत्त आज्ञा दिनांक 11.10.2021 को नियम 148 के अन्तर्गत एक माह की अवधि का आपत्ति इश्तिहार जारी करने की आज्ञा प्रदान की गई। किन्तु मिसल में सलंग्न आपत्ति आमन्त्रण सूचना दिनांक 01.12.2021 को जारी की गई अर्थात् जिस दिन ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, उसी दिन महज़ कागजी खानापूर्ति कर आपत्ति इश्तिहार मिसल में सलंग्न किया जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत लाटाड़ा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146, एवं 148 जैसे आज्ञापक प्रक्रियात्मक उपबन्धों की पूर्ण पालना नहीं की गई तथा प्रस्तावित भूमिपर पुराना गृह संनिर्मित नहीं होते हुए भी नियम 157 के प्रावधानान्तर्गत आलोच्य विलेख अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया, जो कि विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि अप्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका में प्रस्तुत जवाबपत्र में किसी पट्टा संख्या 29 की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाए है। उक्त पट्टा विलेख न तो हस्तगत निगरानी याचिका की विषयवस्तु है और न ही उक्त विलेख का पट्टाधारी व्यक्ति इस निगरानी याचिका में पक्षकार के रुप में संयोजित है। विचाराधीन याचिका के सन्दर्भ में उक्त पट्टा संख्या 29 पर कोई टिप्पणी अथवा निष्कर्ष देना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी इस हेतु पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

अप्रार्थी द्वारा जवाबपत्र में प्रस्तुत यह तर्क भी परिपोषणीय नही है कि आलोच्य पट्टा विलेख रजीस्टर्ड करवाया जा चुका है और इसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 566 RRT 2020 (1) में यह स्पष्ट रुप से प्रतिपादित किया है कि "Jurisdiction is not barred even to cancel the registered patta."

अतः विकास अधिकारी पं.स. बाली द्वारा प्रस्तुत हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य मिसल संख्या 110/2021–22 में पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 22.11.2021 तथा इसके अनुक्रम में अप्रार्थी श्री भीकाराम के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 20 दिनांक 01.12.2021 अपास्त किये जाते है साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत लाटाड़ा को पुनःप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि ज़ैर निगरानी भूखण्ड पर अन्य किसी व्यक्ति का न्यायसंगत दावा नहीं पाया जाने तथा अप्रार्थी का निर्विवाद कब्जा होने की स्थिति में सटीक मापचौक तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित आज्ञापक प्रावधानों की अक्षरशः पालना करते हुए अप्रार्थी श्री भीकाराम पुत्र श्री पन्नाराम के पक्ष में नियम 156 के प्रावधानानुसार उपपंजीयक कार्यालय द्वारा संसूचित डी.एल.सी. दर पर विक्रय सम्बन्धि नियमानुसार कार्यवाही क़रें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2025
उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लाटाड़ा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाटाड़ा को यह भी निर्देश दिए जाते है कि अपास्त किए गए भूमि विक्रय विलेख पर लाल स्याही से बड़े–बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इज़लास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner